न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.57 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 203)	28.10.2024	25.11.2025

बन्टी पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा,
निवासी ट्रांसफार्मर के पास, ग्राम तीरथ,
तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. धनराज माता मूर्ति पिता मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ, हाल निवासी मीणों का मौहल्ला, ग्राम लाडपुर, तहसील तालेडा
2. मस्तराम माता मूर्ति पिता मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ, हाल निवासी मीणों का मौहल्ला, ग्राम लाडपुर, तहसील तालेडा
3. रामहेत माता मूर्ति पिता मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ, हाल निवासी मीणों का मौहल्ला, ग्राम लाडपुर, तहसील तालेडा
4. योगेश कुमार पुत्र मुकुटबिहारी जाति मीणा, नि. कुट का मोहल्ला, ग्राम बुढादीत, तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)
6. उप पंजीयक, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री रविदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 की ओर से श्री अमरसिंह राठौड, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 3104 दिनांक 29.08.2024 ग्राम तीरथ से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 57/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/203 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1941 रकबा 0.7932 हैक्टेयर वाकेग्राम तीरथ, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में अप्रार्थी सं.1, 2, 3 का हिस्सा बराबर–बराबर 65/1176 अंकित है। उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि के मूल पुरूष खातेदार खाना जी थे तथा खाना के देहावसान के बाद उनके वारिसान रामस्वरूप पुत्र खाना, रामप्यारी पत्नी खाना, मूर्ति, द्वारिका, संजू, मंजु पुत्रियां खाना के नाम फोती नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबदी में अंकित किये गये। तत्पश्चात मृतक खाना की तीन पुत्रियों द्वारिका, संजू, मंजू ने अपना अपना हिस्सा अपने भाई रामस्वरूप के नाम जरिये रिलीजडीड से हस्तान्तरण कर दिया गया तथा शेष राममूर्ति उर्फ मूर्ति पुत्री खाना का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में बदस्तुर अंकित रहा। कुछ समय बाद खाना की पुत्री राममूर्ति उर्फ मूर्ति की मृत्यु हो जाने से उसका हिस्सा वारिसान रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के नाम अंकित हो गया। रामस्वरूप पुत्र खाना की मृत्यु होने से उसके स्थान पर अपीलांट का नाम बतौर जमाबंदी में अंकित होकर दर्ज चला आ रहा है। रेस्पो.सं.1 लगायत 3 का नाम उक्त कृषि भूमि में अंकित हो जाने से उनके द्वारा विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध उक्त आराजीयात का विक्रय दिनांक 27.08.2024 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पो.सं.4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। जिसके आधार पर नामा0संख्या 3104 दिनांक 29.08.2024 तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में रेस्पो.सं. 4 का नाम बतौर खातेदार अंकित कर दिया गया। उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने एवं पक्षकारान मीणा समाज से संबंधित होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा पुत्र/ पुरूष संतान के रूप में

जिला कलेक्टर, बून्दी

रामस्वरूप पुत्र खाना के मौजूद रहते हुये पुत्रियों को कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके बावजूद राममूर्ति उर्फ मूर्ति के नाम खातेदारी अधिकार राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना गैर कानूनी एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से तथा राममूर्ति उर्फ मूर्ति की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक हो जाने से उनके द्वारा अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना ही रेस्पो.सं. 4 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो नियमों की अवहेलना किये जाने से गैर कानूनी एवं विधिक दुर्बलताओं से ग्रसित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायहित में देरी कन्डोन किये जाने एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा RRT 2023(1) पेज 137 एवं RRT 2023(1) पेज 458 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जिस नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई है वह नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता रेस्पो.सं.4 के पक्ष में खोला गया, जो कानून सम्मत है। रेस्पो.सं.1 लगायत 3 का नाम अपनी माता के फोत हो जाने पर उसके हिस्से पर विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है तथा खातेदारान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपना हिस्सा बेचान किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पो.सं. 4 के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पो.सं. 4 योगेशकुमार मीणा द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1941 में से हिस्सा 65/392 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2024 से क्रय किया गया है तथा वह उक्त भूमि पर सदभावी क्रेता है जो अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर विधिवत काबिज काश्त है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 4 द्वारा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 29.08.24 की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 21.10.24 को अपील पेश किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र में अंकित है।

लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम तीरथ की आराजी खसरा संख्या 1941 रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि के सहखातेदार धनराज, मस्तराम, रामहेत पुत्र माता मूर्ती प्रत्येक का हिस्सा 65/1176 थे। उक्त खातेदारान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.08.2024 से अपना अपना हिस्सा योगेश कुमार पुत्र मुकुटबिहारी मीणा निवासी बुढादीत को बेचान कर दिये जाने के आधार पर नामान्तरकरण सं. 3104 केता के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सदभावी केता के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

जहां तक पक्षकारान के मीणा जाति के होने तथा मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने बाबत अपीलांट द्वारा प्रकट की गई आपत्ति का प्रश्न है तो जब अपीलांट रेस्पो.सं.1 लगायत 3 की माता मूर्ति का वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं मानता है तो इसके लिए अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी जानी चाहिए थी, जिसके आधार पर मूर्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुआ था। पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के कानूनी बिन्दू से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रभावित नहीं है, ऐसे में अपीलांट इस कार्यवाही में किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में होने से उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 3104 में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी